न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 18/2024

वाद अ. धारा 53 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गुरदेव सिंह पुत्र श्री भूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. पवनदीप कौर पत्नी श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. पवित्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुखदेव सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. जीतो पत्नी श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 9.4.2024

वादी गुरदेव सिंह ने प्रतिवादीगण गुरजन्ट सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 19/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 3/10 हिस्सा अर्थात् 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की [illegible] की प्रमाणित प्रतिलिपि की चित्रप्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 19[illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 3/10 हिस्सा अर्थात् 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:32:08 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

है। जिसका वादी ने अन्य सहकाश्तकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी काश्त करती चली आ रही है। वादी का कब्जाकाश्त बाबत् अन्य किसी भी सहकाश्तकारान के साथ कोई विवाद नही है। वादी ने अन्य सहकाश्तकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी काश्त करती चली आ रही है। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) **वादी गुरदेव सिंह पुत्र श्री भूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

चक 14 ए.एम.पी. खाता सं. 19/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
144/171	34	13,14/0.253 हे.प्र., 15/1/0.215 हे., 15/2/0.038 हे.
		कुल 0.759 हे. मय गै.मु. कृषि भूमि

यह कि वादी बंटवारा के रोज से ही वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार कृषि भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है उक्त कृषि भूमि की कब्जाकाश्त बाबत् कोई विवाद नही है परन्तु वाटरमेन्ट शुल्क, माली रकम आदि राज्य सरकार को अदा करने में अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा सीवबट को लेकर भी आपस में लड़ाई झगड़े का अंदेशा रहता हैं। इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी का खाता अलग कायम करवाकर देने का प्रतिवादीगण से निवेदन किया, तो पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे लेकिन गत् सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के द्वारा सहमति का जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 6 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल [illegible] पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 14 [illegible] के खाता सं. 19/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की जमाबन्दी की प्रति[illegible] की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का [illegible] व्य.प्र. सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवा[illegible] बन्द की गई।

लगातार --3

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:32:08 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 संयुक्त खाता के काश्तकार है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वाद पत्र में खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार वाद-पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 19/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 3/10 हिस्सा अर्थात् 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है किः-

(क) **वादी गुरदेव सिंह पुत्र श्री भूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला** हनुमानगढ़(राज.) **के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

चक 14 ए.एम.पी. खाता सं. 19/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
144/171	34	13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.215 है., 15/2/0.038 है.
		कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 क्रमशः गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह(0.506 है.), पवनदीप कौर पत्नी श्री गुरजन्ट सिंह(0.506 है.), पवित्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह(0.253 है.) एवं जीतो पत्नी श्री जगरूप सिंह(0.253 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-**

चक 14 ए.एम.पी. खाता सं. 19/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
144/171	34	16/1/0.215 है., 16/2/0.038 है.,

लगातार --4

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:32:08 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

17,18,23,24/0.253 है.प्र.,

25/1/0.215 है., 25/2/0.038 है.

कुल 1.518 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 4 सुखदेव सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 14 ए.एम.पी. खाता सं. 19/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
144/172	35	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.
		कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का खाता अलग से कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 8.4.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:32:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 18/2024

गुरदेव सिंह पुत्र श्री भूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

सत्यमेव जयते
Website Copy - Not Official

- वादी

बनाम्

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. पवनदीप कौर पत्नी श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. पवित्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुखदेव सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. जीतो पत्नी श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 8.4.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है किः-

(क) वादी गुरदेव सिंह पुत्र श्री भूर सिंह [illegible] सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्ज[illegible]श्त [illegible] कृषि भूमिः-

चक 14 ए.एम.पी. खाता सं. 19/31 ज[illegible] सम्वत् 20[illegible]76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
144/171	34	13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.2[illegible]5 है., 15/2/0.038 है. कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:32:08 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --2

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 क्रमशः गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह(0.506 है.), पवनदीप कौर पत्नी श्री गुरजन्ट सिंह(0.506 है.), पवित्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह(0.253 है.) एवं जीतो पत्नी श्री जगरूप सिंह(0.253 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 14 ए.एम.पी. खाता सं. 19/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
144/171	34	16/1/0.215 है., 16/2/0.038 है., 17,18,23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.215 है., 25/2/0.038 है.
		कुल 1.518 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ग) प्रतिवादी सं. 4 सुखदेव सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 14 ए.एम.पी. खाता सं. 19/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
144/172	35	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.
		कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का खाता अलग से कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X....निल ....X.... बाबत् ....X.... निल....X.... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत के आज दि. .... को जारी किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:32:08 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया